

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / /नि./ग्वा/भू.रा/2018/

निगरानी-0117/2019/ग्वालियर/भू.रा.10

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह
निवासी बुजुर्ग रोड डबरा तहसील डबरा
जिला ग्वालियर

..... प्रार्थिनी

बनाम

जगदीश श्रीवास्तव कांश
15-1-19
5-2-19
राजस्व मण्डल, ग्वालियर
15-1-19

9219

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपर कलेक्टर,
जिला ग्वालियर
2. परसराम पुत्र बृजलाल
3. हरगोविन्द पुत्र प्यारेलाल
4. मुरारी पुत्र रामभरोसे
5. अलबेल सिंह पुत्र इंदर सिंह
निवासीगण तहसील डबरा जिला
ग्वालियर
6. विजय सिंह पुत्र कामता
7. हल्के पुत्र बिरखा
निवासीगण ग्राम चांदपुर तहसील
डबरा जिला ग्वालियर

..... प्रतिप्रार्थीगण

मध्यप्रदेश भू.रा.सं. की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 10/2015-16 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28.3.18 के निर्णय के विरुद्ध निगरानी।

श्रीमान्जी,



प्रार्थिनी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

यहकि परसराम पुत्र बृजलाल को ग्राम चांदपुर तहसील डबरा में स्थित

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-117/19/ग्वालियर/Rw

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-04-19	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया । दिनांक 25-9-2018 से म0प्र0भू राजस्व संहिता में लागू संशोधन के बाद से संहिता की धारा 50(2)(ग) के अन्तर्गत पुनरीक्षण के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है ।</p> <p>2/ आवेदक द्वारा 2019(1) आरएन 70 का जो उद्धरण दिया गया है वह अपील योग्य आदेश के विरुद्ध सो-मोटो रिवीजन ग्राह्य करने के बारे में है तथा सो-मोटो रिवीजन के विरुद्ध रिवीजन सुनने के बारे में नहीं है, अतः वह इस प्रकरण में लागू नहीं होता है । अतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p style="text-align: right;">  अध्यक्ष </p> <p style="text-align: left;">  ASK </p>